ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

पॉलिसी ब्रीफ

जुलाई 2019

राजस्थान में पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता

वर्ष 1993 में संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों का स्वरूप बदल गया। पंचायतों को गांवों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अधिकार व जिम्मेदारियां प्राप्त हुईं। इस बदलाव से पंचायत को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और तभी से पंचायतें भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र का अभिन्न अंग बन गई हैं।

25 वर्ष पश्चात, 13वें और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अब पंचायतों के पास प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के मामलों में भी पूर्ण स्वायत्तता है। प्रशासनिक अधिकारों के इस हस्तांतरण ने पंचायतों को ग्राम स्तर पर विकास योजनायें बनाने के लिए और भी स्वावलंबी और सशक्त किया है। इसे सहभागी दृष्टिकोण वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) भी कहा जाता है, जिसके द्वारा पंचायतों को गांव में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को बनाने व लागू करने का अवसर मिलता है।

पंचायत राज संस्थाओं की विकेन्द्रकृत भागीदारी योजनाओं को प्रभावी मजबूती देने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आदर्श रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा महिला व बाल संबंधी मुद्दों का उचित तरीके से निवारण हो सके (साधु और शर्मा, 2014)। किसी भी सहभागी योजना में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना उसका एक अनिवार्य पहलू होता है। खासतौर पर ऐसे मुद्दे जो सीधे महिलाओं से जुड़े होते हैं, जैसे, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। इनसे जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम होती है।

योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी दो परस्पर विषयों से प्रभावित होती है–पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तथा उनकी भागीदारी का प्रभाव एवं परिणाम। राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होना लोकतंत्र को सशक्त बनाता है तथा महिला विकास के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। यह भागीदारी महिला उत्पीड़न, उनकी महत्वहीनता और उनके हाशिये पर होने जैसे मुद्दों को भी सामने लाती है एवं इसका समाधान करने में भी सहायक है।

महिलाओं की भागीदारी के महत्व को देखते हुए एक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है जिससे ग्राम स्तरीय योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो सके एवं इसके लिये उन्हें एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तरीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा (महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्राम सभा) की कल्पना की और इसके गठन के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा एक कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है।

प्रस्तुत नीति संक्षेप में GPDP के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए राजस्थान की सभी पंचायतों में महिला सभाओं के गठन और इनके सुचारू रूप से कार्य करने हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम में वैधानिक संशोधन करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

महिला सभा क्या है?

महिला सभा एक ऐसी ग्राम स्तरीय बैठक है जिसमें केवल महिलाओं की उपस्थिती होती है। महिला सभाओं को मुख्यतः महिलाओं द्वारा ग्राम पंचायत के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार और राय रखने के लिए आयोजित किया जाता है। इन मुद्दों को ग्राम सभा की मंजूरी के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जा सकता है। महिला सभा में सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों की महिलाऐं भाग लेती हैं। यह बैठक सभी महिलाओं को महिला केन्द्रित मुद्दों पर अपना अनुभव और जानकारी सांझा करने का मौका देती हैं एवं उनका एक ऐसा हल तलाशने का मौका देतीं हैं, जिससे पूरे समुदाय को लाभ हो सके।

राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

लैंगिक समानता और निष्पक्षता राजस्थान के लिऐ चिंता का विषय बने हुए हैं। गहराई तक जड़ें जमाये पुरूष प्रधान मानदंडों ने महिलाओं को हाशिये पर रखा हुआ है। गरीबी, पितृसत्ता और खुद को साबित करने के कम मौकों के दुश्चक्र का परिणाम यह रहा है कि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से बहिष्कृत कर दिया गया है। साथ ही नव–उदारवादी वैश्वीकरण ने लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने की राह में नयी चुनौतियां पेश की हैं। इन चुनौतियों का उल्लेख राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गई राज्य नीति[1] में भी किया गया है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में महिला भागीदारी का आंकड़ा कम ही रहा है। साधु और शर्मा (2014) ने अपने अध्ययन "फैक्टर्स इनफलुंसिंग पार्टीसिपेशन ऑफ वूमेन इन पंचायत" में तर्क दिया था कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का कम पढ़ा लिखा होना और जल्द विवाह जैसे कारक महिलाओं को राजनीति को एक पेशे के तौर पर चुनने की आजादी नहीं देते।

[1] राजस्थान स्टेट पालिसी फॉर वूमेन – ड्राफट (2018) http://wcd.rajasthan.gov.in/docs/Rajasthan%20State%20Policy%20for%20Women%202018.pdf

मानुका खन्ना (2014) ने अपने अध्ययन "पोलिटिकल पार्टीसिपेशन ऑफ वूमेन इन इंडिया" में दलील दी थी कि आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आय, धर्म, वर्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, निवास जैसे सामाजिक–आर्थिक घटकों की राजनीतिक सहभागिता में अहम भूमिका होती है। आसान शब्दों में कहें तो अशिक्षित और समाज के निचले स्तर से आने वाले व्यक्ति के मुकाबले उच्च शिक्षित और उच्च सामाजिक–आर्थिक दर्जे वाले व्यक्ति के लिए राजनीति में प्रवेश करना ज्यादा आसान होता है। उन्होंने यह भी गौर किया कि पंचायत की बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, वे अमूमन ग्राम विकास से जुड़े थे। इनमें से अधिकतर मुद्दे निर्माण, बुनियादी ढांचागत प्रावधानों और विशिष्ट सरकारी योजनाओं से जुड़े होते हैं। महिलाओं की ओर से बनाये गए सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन इन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी महिला शामिल नहीं थी। यहां तक की यदि किसी महिला ने बैठक में हिस्सेदारी की भी तो वह हिचक और घबराहट के कारण अपने विचार बैठक में नहीं रख पाती हैं। अधिकांश मौकों पर उनकी चिंताओं और विचारों को अहमियत नहीं दी जाती एवं बैठक जारी होने के बावजूद उन्हें पंचायत कार्यालय के बाहर बैठने को कह दिया जाता है।

अध्ययनकर्ताओं ने परिवारों में भी महिलाओं की बेहद सीमित भूमिका देखी। परिवार से जुड़े हुए एवं बाहर के निर्णय लेने का काम अधिकतर पुरूष ही करते हैं। अक्सर पुरूष सारा नियंत्रण खुद ले लेते हैं और महिलाओं की ओर से उनके निर्णय भी खुद ले लेते हैं। यह लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के सामर्थ्य को सीमित कर देता है।

ग्राम नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। पलनीथुरी (1997) ने तमिलनाडु में पंचायती राज को लेकर अपने मूल्यांकन अध्ययन में बताया था कि पुरुष प्रधान ग्राम पंचायत बैठकों में महिलाओं को आमंत्रित नहीं किया जाता।

महिला सभाओं के जरिए महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना

पंचायत स्तर पर और ग्राम सभा जैसे मंचों पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता होने से महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और अपने गांव के सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों में आवाज बुलंद करने का मौका मिलता है। दास और धर (2017) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया कि "देश की राजनीति और स्थानीय शासन प्रणाली में महिलाओं की समान भागीदारी अंत में सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, जब पुरुषों और महिलाओं के बीच बिना षक्ति एवं अधिकारों का समान और संतुलित बंटवारा होता है, तो हर मायने में महिलाओं के सशक्तीकरण की गुंजाइश बनी रहती है।" इस तरह के प्रतिनिधित्व/सहभागिता से विकास के मुद्दों के प्रति सरकार को लैंगिक तौर पर संवेदनशील बनाने में मदद मिलती है।

अज़ीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव (APPI) एवं दसरा के सहयोग से प्रिया द्वारा क्रियान्वित "अपना स्वास्थ्य, अपनी पहलः रिफार्मिंग लोकल हेल्थ गवर्नेंस इन राजस्थान[2]" कार्यक्रम ने महिला सभाओं के प्रायोजन के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और विभिन्न मुद्दों पर उन्हें

[2] https://www.pria.org/projectsdetails-apna-swasthya-apni-pehel-reforming-local-health-governance-in-rajasthan-30-572

आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने के पर्याप्त प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान के तीन प्रखंडों गोविंदगढ़ (जयपुर जिला), बांसवाड़ा और तलवारा (बांसवाड़ा जिला) की 104 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम मातृ स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को स्थानीय स्तर की योजना में शामिल करने के लिए पंचायतों में सामर्थ्य और जिम्मेदारी का निर्मित करने पर केंद्रित है।

वर्ष 2017 में जब प्रिया ने "अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल" कार्यक्रम शुरू किया, तो पाया गया कि 85 प्रतिशत महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों की भूमिका और कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। इतनी ही प्रतिशत महिलाओं ने कभी ग्राम सभा में भागीदारी नहीं की है। उन्हें अपनी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की बैठकों की तारीखों और समय के बारे में जानकारी काफी देर से एवं अधूरी मिलती है। पुरुष प्रधान समाज के कारण उन्हें अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों का प्रयोग करने से पीछे हटना पड़ता है। घर के कामों और घूंघट के बोझ में दबीं महिलाएं अमूमन पुरुष सदस्यों के सामने अपनी मांग रखने या उनके सामने बोलने में असहज महसूस करती हैं। काफी पुरुष महिलाओं को गांव और पंचायत की बैठकों में अपनी चिंताओं को प्रकट करने या उठाने से रोकते भी हैं। यह चिंताजनक बात है कि महिलाओं की स्थानीय स्वशासन प्रणाली में शामिल होने की अकांक्षा बेहद कम है।

इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट आनंद (IRMA) के एक शैक्षिक शोध 'महिला सभाओं का संचालनः गुजरात के कच्छ जिले का अध्ययन' में महिला सभा के महत्त्व और प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस शोध में यह सामने आया कि "महिलाओं और बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पीडीएस, शिक्षा, मिड डे मील जैसे मुद्दे, जो शायद ही कभी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा का विषय बने हों, अब महिला सभा में इन मुद्दों पर विचार–विमर्श होता है। यह पाया गया कि देश के कुछ भागों में जहां पहले महिलाओं की सहभागिता नगण्य थी, वहां महिलाऐं महिला सभाओं में भाग लेने के प्रति अति उत्साह प्रदर्शित कर रही हैं। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिला सभा, महिलाओं के बीच जागरूकता की भावना पैदा करती है। यह बिना किसी हिंसा के भय के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह महिलाओं के भीतर सशक्तिकरण की भावना जागृत करती है और यह महिलाओं को उनके विशिष्ट मुद्दों को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है"।

प्रिया द्वारा राजस्थान में पिछले 3 वर्षों के दौरान 104 पंचायतों में आयोजित महिला सभाओं के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्लिखित सुझावों प्रस्तुत हैं :

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए महिला सभा के रूप में अलग ग्राम सभा का गठन सुनिश्चित करना**

GPDP की निर्माण के लिए राजस्थान में पंचायत दिशा निर्देशों में यह निर्देश देने की आवश्यकता हैं कि ग्राम सभा में महिलाओं की विस्तृत सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उचित वातावरण निर्मित करने की पहल की जाये। महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य नीति के मसौदे में भी "सत्ता की

निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सक्षम बनाने के लिए लैंगिक संवेदनशील संस्था और परिचालन ढांचे को बढ़ावा देने" का प्रावधान बनाया गया है। युवतियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ ग्राम सभाओं को महिला सभाओं के रूप में नामित करना महिलाओं को सशक्त बनायेगा। यह काम महिला वार्ड सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सहायता से किया जा सकता है।

- **महिला सभा का नियमितीकरण**

हालांकि बहुत सारे कार्यक्रम और दिशानिर्देश महिला सभा के संचालन पर जोर देते हैं, फिर भी यह एक नियमित प्रक्रिया नहीं बन पाई है। कई राज्य केवल सरकार द्वारा परिपत्र/कार्यालय निर्देशों के जारी करने के बाद महिला सभा आयोजित करते हैं। बहुत–सी पंचायतों में, महिला सभा की बैठकों को पंचायत और स्थानीय स्तर के अधिकारियों के पास जानकारी के अभाव या अनदेखी के कारण उचित प्रचार नहीं मिल पाता है। हिमाचल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए महिला सभा के संचालन के लिए अपने पंचायत राज अधिनियमों में संशोधन किये हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में इसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है।

- **महिला सभा में सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करना**

प्रिया द्वारा किये गए महिला सभाओं के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इन बैठकों में महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने में महिलाएं अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। औरतों और युवतियों को बाल विवाह, किशोर गर्भावस्था, वैवाहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों पर बेझिझक चर्चा करने का अवसर महिला सभा में मिलता है। ग्राम सभाओं में इस प्रकार के मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते हैं। महिला सभाओं में शामिल होने वाली अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया है कि सभा ने उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का एक अनुपम अवसर प्रदान किया, यह ऐसा कुछ था, जो अन्यथा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। बिस्वास और मिश्रा का 2016 का अध्ययन दर्शाता है कि यह मंच न केवल आत्म–अभिव्यक्ति के लिए स्थान प्रदान करता है, बल्कि विकास गतिविधियों में विभिन्न समुदायों की महिलाओं की समानता, समावेशिता और भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

भागीदारी के लिए नियमित स्थान और अवसर प्रदान करना ही महिलाओं की आवाज सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्राम स्तर की योजनाओं में अपने मुद्दों को सम्मिलित करने की मांग के लिए महिलाओं में भागीदारी निर्मित करना और उनका सामर्थ्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की समान आवश्यकता है[3]। प्रिया के हस्तक्षेप के 104 ग्राम पंचायतों में जागरूक महिलाओं ने बाल विवाह, मासिक स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य आदि पर जागरूकता बढ़ाने जैसे मुद्दों को GPDP 2019–2020 में शामिल करवाया है।

---

[3] प्रिया (2019), महिला सभा कैसे आयोजित करें : स्थानीय शासन में महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए एक मार्गदर्शिका https://www.pria.org/knowledge_resource/1564115810_How%20to%20conduct%20Mahila%20Sabhas_Hindi.pdf

इस हस्तक्षेप के अंतर्गत बांसवाड़ा और तलवाड़ा में महिलाओं का एक ऐसा स्वयंसेवक समूह भी बना हुआ है जो समुदाय की दूसरी महिलाओं को ग्राम सभा और महिला सभा के बारे में जानकारी देने तथा प्रेरित करने का काम कर रहा हैं।

ये छोटे कदम और सफलताएं महिलाओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करती हैं, जो सभी महिलाओं और युवतियों को महिला सभा में भाग लेने और पंचायत कार्यालय जाने तथा निर्धारित समय पर अपना काम पूर्ण करने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाऐं विकास योजनाओं में सहभागिता के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजस्थान में प्रिया का अनुभव बताता है कि GPDP तैयार करते समय ग्राम सभा की प्रक्रिया के रूप में महिला सभाओं का नियमित आयोजन ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से विभिन्न जातियों, वर्गों और आयु की महिलाओं की आवाज पंचायत पदाधिकारियों एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुनी जाती है और उनकी आवश्यकताओं को GPDP में शामिल किया जाता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से आयु, लिंग, विकलांगता, जातीयता, मूल, धर्म, आर्थिक या अन्य स्थिति से अलग सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश के लिए लैंगिक समानता (SDG 5) हासिल करने में मदद मिलेगी और यह असमानताओं को कम करेगी (SDG 10)।

'यह मेरी पहली महिला सभा थी। मैं कभी भी ग्रामसभा में उपस्थित नहीं हुई और हमेशा सोचती थी कि आदमी लोग वहां क्या चर्चा करते होंगे?

जब मैंने समझा कि महिला सभा सिर्फ महिलाओं के लिए होती है जहां हम अपनी–अपनी चिंताओं, अपने मुद्दों को रख सकते हैं तो मुझे इसमें जाने की इच्छा हुई। मैं अपनी समस्याओं को आगे लाना चाहती थी। आज मुझमें आत्म–विश्वास है और मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगी तो लोग इसे सुनेंगे। मैं पंचायत की हरेक महिला को महिला सभा में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करूंगी।''

बबली बुआ, कुशलपुरा पंचायत, बांसवाड़ा

इसकी पूरी कहानी के लिए कृपया देखें:
https://pria.org/featuredstory-mahila-sabhas-and-the-power-of-mobilisation-44-203>

संदर्भ

1. बिस्वास, एस. एन. एंड देबीप्रसाद मिश्रा, मेकिंग महिला सभा वर्कः ए स्टडी इन दी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ गुजरात, वर्किंग पेपर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, एन. डी.
2. दास, आर एंड धर, डी. (2017), पोलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीटूशन्स : ए सिलेक्टेड केस स्टडी इन बर्धवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ वेस्ट बंगाल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज
3. राजस्थान राज्य महिला नीति (ड्राफ्ट), 2018, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
4. खन्ना, एम. (2009), पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ़ वीमेन इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस, 55–64
5. ग्राम पंचायत विकास योजना मैन्युअल, 2018, पंचायत राज मंत्रालय
6. पालिनिथुराई, जी (1999), न्यू पंचायती राज इन तमिलनाडु, कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी
7. प्रिया (2019), महिला सभाओं का संचालन कैसे करें? – स्थानीय सरकार में महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने सम्बन्धी मार्गदर्शिका
8. प्रिया (2003), वीमेन लीडर्स इन पंचायत
9. प्रिया (1999), वीमेन लीडरशिप इन पंचायती राज इंस्टीटूशन्स : एन एनालिसिस ऑफ़ सिक्स स्टेट्स
10. प्रिया (2009), वीमेन पोलिटिकल एम्पावरमेंट एन्ड लीडरशिप
11. साधु, जी एंड बी. शर्मा (2014), फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ़ वीमेन इन पंचायत, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एंड रिसर्च, 3 (11)

यह दस्तावेज 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रिया (2017–2020) द्वारा किया जा रहा है। जिसमें दसरा तथा अज़ीम प्रेमजी फिलेन्थ्रोपिक इनिशिएटिव्ज़ (एपीपीआई) से सहयोग प्राप्त है।

© 2019 प्रिया, इस मसौदे का गैर–व्यापारिक उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते प्रिया को इसका श्रेय दिया जाए। उपरोक्त उद्देश्य के लिए कृपया प्रिया से संपर्क करें library@pria.org

प्रिया (2019), राजस्थान में पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता।

पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया
42, तुग़लकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110062
फोनः +91-011-29960931/32/33
वेबः www.pria.org